प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 07 जुलाई, 2023

विषयः– उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के संबंध में शासनादेश दिनांक 24.08.2022 के प्रस्तर–3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान को शिथिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में शहरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के हो रहे निरंतर विकास एवं वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिगत नेशनल ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–03/आठ–3–15–198 विविध/2014, दिनांक 04.03.2015 द्वारा निर्गत नीति को और अधिक व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–2120/आठ–3–22–198 विविध/14, दिनांक 24.08.2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 निर्धारित की गयी है, जिसके प्रस्तर–3.2.2 में निम्नलिखित प्राविधान उल्लिखित हैः–

"टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 नीति के संचालन एवं टी0ओ0डी0 योजना की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी0ओ0डी0 जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।"

2– शासन के संज्ञान में आया है कि नीति के क्रियान्वयन हेतु पब्लिक मास ट्रांजिट परियोजनाओं (मेट्रो, आर0आर0टी0एस0 आदि) के टी0ओ0डी0 जोन्स के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता का पालन करने में व्यवहारिक कठिनाई है क्योंकि जोनल डेवलमेन्ट प्लान तैयार करने और प्रभावी होने में प्रक्रियात्मक कारणों से समय लगने की सम्भावना है।

3– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टी0ओ0डी0 जोन्स के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता को शिथिल मानते हुए सम्बन्धित अभिकरण द्वारा चिन्हांकित किये गये टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण/विकास अनुज्ञा इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाए कि इन्हें जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में यथावत समायोजित किया जाएगा।

4– शासनादेश संख्या–2120/आठ–3–22–198 विविध/14, दिनांक 24.08.2022 के प्रस्तर–3.2.2 में उल्लिखित प्राविधान को उक्त सीमा तक शिथिल समझा जाए।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 06-07-2023 ...:26
Reason: Approved

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।